

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,
मनोज कुमार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण सभी मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

E-mail

FAX मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,
F.F.P बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

अंतिम

स्मार उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
झारखण्ड, राँची।

प्रबन्ध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, राँची।

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रशासक नगर निगम, राँची।

राँची / दिनांक :—.....

विषय :— विभिन्न सिंचाई प्रमण्डलों/अंचलों/कार्यालयों से संबद्ध सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं के पेंशनादि/सेवान्त लाभ के सभी लम्बित मामलों के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक-485 दिनांक-०९.०२.१८ अनुवर्ती स्मार पत्रांक-१७०४ दिनांक-२०.०६.१८, १८१९ दिनांक-२९.०६.१८, २२७८ दिनांक-२८.०७.१८ एवं अंतिम स्मार पत्रांक-३६६० दिनांक-३०.१०.१८

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं निर्गत विभागीय प्रसंगाधीन पत्र के साथ दिनांक-२३.०८.१८, २४.०८.१८, २७.०८.१८, २८.०८.१८ एवं २९.०८.१८ को विभागीय विशेष सचिव के साथ प्रक्षेत्रावार सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय का कृपया निदेश किया जाय। उक्त क्रम में सूचित करना है कि विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा सेवानिवृत्ति मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पेंशनादि/सेवान्त लाभ के लम्बित सभी मामलों का हर हालत में दिनांक-३०.११.१८ तक नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। कनीय अभियंता के नियंत्री प्राधिकार कार्यपालक अभियंता होते हैं फलस्वरूप अपने-अपने प्रक्षेत्राधीन विभिन्न निदेशालय/अंचल एवं प्रमण्डलों से अद्यतन विवरणी प्राप्त कर अपने-अपने प्रक्षेत्रावार समेकित विवरणी विशेष दूत के माध्यम से निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

इसके साथ ही सभी मुख्य अभियंता को लिखित रूप से प्रमाण पत्र के माध्यम से सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं के पेंशनादि/सेवान्त लाभ का लंबित नहीं होने के संबंध में भी सूचना विभाग को देना अनिवार्य है। नियत तिथि के बाद यदि कोई मामला आपके प्रक्षेत्राधीन लंबित पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।

2. सभी मुख्य अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन कार्यालयों का समेकित वास्तविक विवरणी निर्धारित समय के अंदर विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि प्रक्षेत्रवार समेकित विवरणी से अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया जा सके।

विहित प्रपत्र

क्र०	कनीय अभियंता का नाम/आई० डी०/ जन्मतिथि/ तत्कालीन पदस्थापन	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के समय पदस्थापित कार्यालय	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	लम्बित पेशन इत्यादि की विवरणी (कारण सहित)	लम्बित रहने का औचित्य					कुल	अभ्युक्ति
					5 वर्ष से अधिक	2-5 वर्ष के बीच	1-2 वर्ष के बीच	1 वर्ष से छः माह के बीच	31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कनीय अभियंता		
1	2	3	4	5	6					7	8

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

राँची, दिनांक:- 12.11.18

ज्ञापांक— 3804

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख—I के प्रधान आप्त सचिव/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

